GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. 249
TO BE ANSWERED ON 18.03.2021

Impact of COVID-19 pandemic on poor children

*249 **Shri Sushil Kumar Gupta**:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the steps taken to mitigate the impact of challenges thrown by the COVID-19 pandemic on out of school children;

(b) the guidelines issued to States and UTs to devise a proper strategy for preventing increase in dropouts, lower enrolments, loss of learning and deterioration in the gains made in providing universal access, quality and equity in the recent years; and

(c) the steps taken by the Ministry for identification, admission and continued education of migrant children?

ANSWER
MINISTER OF EDUCATION
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) to (c): A Statement is laid on the table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (C) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 249 TO BE ANSWERED ON 18.03.2021 ASKED BY HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA REGARDING "IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON POOR CHILDREN".

(a) to (c): During COVID 19, the Department of School Education & Literacy has taken several initiatives such as series of meetings with the States/UTs at the Minister level, Alternative Academic Calendar for grades 1 to 12, Pragyata guidelines for online/blended/digital education, Manodarpan programme for psycho-social support, PM e-Vidya to provide multi-mode access to education, Swayam, DIKSHA, Swayam Prabha channel, E-contents and use of Radio, Community radio and podcast, learning enhancement guidelines and innovative methods of reaching to the last child, Mid-day meal in the form of food security allowance/dry ration to the students at elementary level etc.

In order to ensure that children have access to education with quality and equity, the Department of School Education & Literacy has prepared and issued detailed guidelines on 7th January, 2021, on the steps to be taken by the States and UTs. The link of the guidelines is https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/guidelines_oosc.pdf.

Education is in the Concurrent List of the Constitution and majority of the schools come under the purview of the respective State and UT Governments. However, Ministry of Education has issued guidelines for identification, smooth admission process and continued education of migrant children on 13.07.2020. The guidelines are available at https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Migrant%20labour%20guideline.pdf.

****

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 249
उत्तर देने की तारीख: 18.03.2021

गरीब बच्चों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

*249 **श्री सुशील कुमार गुप्ता:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूल न जा पा रहे बच्चों पर कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होने, दाखिले कम होने, पढ़ाई के नुकसान तथा हाल के वर्षों में सर्वसुलभ, गुणवत्तापूर्ण और एकसमान शिक्षा प्रदान करने के मामले में हुए लाभों में हो रही कमी की रोकथाम के लिए उचित कार्यनीति बनाने हेतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र को क्या दिशा-निर्देश जारी किएगए हैं; और
(ग) प्रवासी बच्चों की पहचान, दाखिले तथा सतत शिक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"गरीब बच्चों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुशील कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 18.03.2021 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 249 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): कोविड 19 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कई पहलें की हैं , जैसे मंत्री स्तर पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सिलसिलेवार बैठकों का आयोजन, कक्षा 1 से 12 तक के लिए वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर , ऑनलाइन/मिश्रित/डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञता दिशानिर्देश, मनो-सामाजिक सहायता के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम, शिक्षा तक बहु-विध पहुँच की व्यवस्था के लिए पीएमई ई-विद्या,स्वयम,दीक्षा, स्वयम प्रभा चैनल, ई-सामग्री और रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का उपयोग, अधिगम संबंधी दिशानिर्देश, आखिरी बच्चे तक पहुँच के नूतन तरीके, प्रारंभिक स्तर के छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता/सूखे राशन के रूप में मध्याह्न भोजन, आदि ।

बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समानता युक्त शिक्षा तक पहुँचसुनिश्चित करने के लिए,स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाये जाने वाले क़दमों के सबंध में, दिनांक 7 जनवरी, 2021 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए है। इन दिशानिर्देशों कालिंक https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files /guidelines_oosc.pdfहै।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 13.07.2020 को प्रवासी बच्चों की पहचानकरने, प्रवेश प्रक्रिया का सुचारू बनाने और उनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।ये दिशानिर्देश https://www.education.gov.in/sites/upload_files /mhrd/files/Migrant%20labour%20guideline.pdfपर उपलब्ध हैं।

*****

श्री सुशील कुमार गुप्ताः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इसके अंदर ऑनलाइन शिक्षा पर बड़े विस्तार से जवाब दिया है। परन्तु कोविड-19 के दौरान बहुत से गरीब बच्चे अपने माता-पिता के साथ गांव चले गये और उनकी शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से कम्प्यूटर, आईपैड या मोबाइल से ही हो सकती है। चूंकि ज्यादातर परिवारों के पास कम्प्यूटर और आईपैड नहीं हैं, सिर्फ एक मोबाइल है, इसलिए यदि घर में दो या तीन बच्चे हैं, तो उनकी शिक्षा ऑनलाइन नहीं हो पाती। क्या ऐसा कोई प्रबंध किया गया है, क्योंकि आरटीई के अन्दर...

श्री उपसभापतिः आप सवाल पूछिये, आपको दो सवाल पूछने हैं।

श्री सुशील कुमार गुप्ताः मैं पहले एक ही सवाल पूछ रहा हूं। आरटीई के अंदर यह प्रावधान है कि उन्हें फ्री शिक्षा, बुक्स और युनिफॉर्म्स मिलेंगी, इसी प्रकार से क्या उनको ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल या आईपैड देने का कोई प्रावधान किया है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': महोदय, यह बात सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत फ्री किताबें, फ्री ड्रैस, फ्री यातायात और यहां तक कि मध्याह्न भोजन आदि की सभी सुविधाएं भी पिछले समय दी गईं और आपने जिन प्रवासी और पिछड़े मजदूरों की बात की है, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मध्याह्न भोजन, जो छुट्टी के दिवस होते थे, उन दो महीनों में नहीं होता था, इस समय लगभग दो हजार करोड़ अतिरिक्त भोजन छुट्टी के दिनों में उन छात्रों को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा आपने उनके बारे में कहा है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति आई कि पूरी दुनिया इस कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रही थी और हम भी अछूते नहीं थे, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जब विकसित देशों ने अपने को एक-एक वर्ष पीछे कर दिया, तब भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, उसने अपने वर्ष को बचाया। हम अंतिम छोर तक के बच्चे के पास जा रहे हैं, जिसके पास स्मार्ट टेलिफोन नहीं है या जिसके पास इंटरनेट नहीं है, उसके लिए 'स्वयं प्रभा' के 32 चैनल्स शुरु किये – 'वन क्लास, वन चैनल' और न केवल इनके माध्यम से गये, डीटीएच पर किया, जियो पर किया और विभिन्न माध्यमों से गये, जहां संभव हो सकता है, सामुदायिक रेडियो का उपयोग भी किया। हर दिशा में जो-जो भी संभव हो सकता है, वह हमने किया। हमने उन बच्चों को ढूंढ़ने की कोशिश भी की। यह जो शिक्षा है, यह राज्यों और केन्द्र सरकार से जुड़ा विषय है, इसलिए राज्यों ने भी इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है और मैं अध्यापकों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं , जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: महोदय, मंत्री जी ने मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया, मैं निवेदन करूंगा कि शायद दूसरे प्रश्न का जवाब मुझे मिले। आरटीई के तहत राज्यों के लिए यह बाध्य हो गया था कि बच्चे को फ्री शिक्षा, फ्री बुक्स और फ्री युनिफॉर्म्स दें। दिल्ली सरकार उसके लिए 2,400 रुपये महीना प्राइवेट स्कूलों के 25 परसेन्ट छात्रों को देने के लिए बाध्य करती है और उन्हें देती है। हरियाणा में सैक्शन-134 के तहत सिर्फ चार सौ रुपये मिलते हैं, वहां आरटीई एक्ट लागू नहीं है। हरियाणा सहित बहुत से राज्यों में RTE Act लागू नहीं है। क्या केन्द्र सरकार उसे लागू कराने के लिए उनको बाध्य करने का कोई प्रस्ताव ला रही है?

श्री रमेश पोखरियाल '**निशंक**': महोदय, उस एक्ट में 25 प्रतिशत छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का प्रावधान है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जहाँ वह एक्ट..

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, समय खत्म हुआ।